<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–162/2026
राज्य बनाम शिवा

मु०अ०सं०-**374/2025**
धारा-**69,115(2),352,351(2)बी.एन.एस.**
थाना-**फफूंद** जिला-औरैया

<u>आरोप</u>

मैं पारूल जैन, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया, आप अभियुक्त **शिवा** पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करती हूँ-

1. यहकि दिनांक 25.07.2025, समय 00.00 बजे व स्थान अदम तहरीर में आप अभियुक्त ने पीड़िता/वादिनी शिवानी उर्फ शिवम को शादी करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन किया। इस प्रकार आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 69 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा को मारपीटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 115(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा को गाली गलौज देकर साशय अपमानित किया या यह सम्भाव्य जानते हुये प्रकोपित किया कि ऐसे प्रकोपन से उक्त लोकशांति भंग कर सकती है, या कोई अन्य अपराध कारित कर सकती है। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि जब पीड़िता/वादिनी मुकदमा द्वारा आप अभियुक्त से शादी करने के लिये कहा गया तो आप अभियुक्त ने वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 351(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–28.04.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक– 28.04.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.04.28 15:28:17 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–162/2026
राज्य बनाम शिवा

मु०अ०सं०-**374/2025**
धारा-**69,115(2),352,351(2)बी.एन.एस.**
थाना–**फफूंद** जिला–औरैया

<u>दिनांक–28.04.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त **शिवा** स्वयं उपस्थित तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभयपक्षों को आरोप विरचन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 69, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. का आरोप विरचित किया जाए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन का कोई औचित्य नहीं है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 69, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. में आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 69, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. में आरोप विरचन हेतु पत्रावली पेश हो।

दिनांक–28.04.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त **शिवा** के विरूद्ध धारा 69, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। सूची से साक्षीगण तलब हो।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 07.05.2026 को पेश है।

दिनांक–28.04.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।